जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

44/2016

मुन्तकिली प्रकरण सं0 44/2016 अनवानी 1–बलविन्द्र सिंह पुत्र अजमेर सिंह 2–जोगेन्द्रसिंह पुत्र जरनेलसिंह 3–शिवराजसिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा0 भागसर तहसील सादुलशहर बनाम 1– श्रीमति तेज कौर पुत्री मु0 जसमेल कौर पत्नि जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी 13 एलएनपी तह0 व जिला श्रीगंगानगर 2–तहसीलदार सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.06.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री जलविन्द्र सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 तेज कौर के मु0खास कुलवंतसिंह के अभिभाषक श्री खेतपाल सिहाग उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 तेजकौर के मु0खास कुलवंत सिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित दावा संख्या 70/2011 अनवानी तेज कौर बनाम जसमेर कौर आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घड़साना में लंबित दावा संख्या 70/2011 अनवानी तेज कौर बनाम जसमेर कौर आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

1283
1-7-16

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर